न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
76 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	16.10.2024	12.12.2024

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन निवासी दीनदयाल कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्र इण्डस्ट्रीज आसाम इडिबल ऑयल मिल के पीछे रीको इण्ड. एरिया निवाई जिला टोंक। मोबाईल नं0 9929362717।
2–मैसर्स महेन्द्र इण्डस्ट्रीज आसाम इडिबल ऑयल मिल के पीछे रीको इण्ड. एरिया निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जैन स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक: 12/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.05.2024 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स महेन्द्र इण्डस्ट्रीज आसाम इडिबल ऑयल मिल के पीछे रीको इण्ड. एरिया निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महेन्द्र इण्डस्ट्रीज आसाम इडिबल ऑयल मिल के पीछे रीको इण्ड. एरिया निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल का निर्माण / भण्डारण / विक्रय का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु निर्माण इकाई के गोदाम में लगभग 363 टिन प्रत्येक वजनी 15–15

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किलोग्राम पैंक, 1–1 लीटर पैक के 42 कार्टून व 500–500 एमएल पैक के 26 कार्टून पैक **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)**वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है। ईकाई के गोदाम में लगभग 363 टिन प्रत्येक वजनी 15–15 किलोग्राम पैक, 1–1 लीटर पैक के 42 कार्टून व 500–500 एमएल पैक के 26 कार्टून पैक के **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)** में से एक 15 किलोग्राम टिन का चयन कर जिसके बेंच नं0 10 एवं पैंकिग की दिनांक अप्रेल,.2024 थी, को खोलकर 1600 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)**1600 ग्राम को अलग–अलग प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 400–400 ग्राम **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)**शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4101 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4101 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/702 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2080/एक्ट/2023/2177 दिनांक 11.06.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों में अन्तर होने के कारण जांच में उक्त खाद्य पदार्थ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)**का विक्रय कर रहे थे, उसमें Foreign fat उपस्थित मिला है। वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्राथी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल(रणथम्बौर ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0